मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को दिया निर्देश

स्नातक चुनाव : सरकारी कर्मी भी बनेंगे मतदाता

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

बिहार में होने वाले स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में अब सरकारी कर्मचारी व पदाधिकारी भी वोटर बनेंगे। राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को इस चुनाव में सरकारी कर्मियों को सहभागी बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसके लिए जो भी योग्यताधारी सरकारी कर्मी हैं, उन्हें वोटर बनाने का निर्देश दिया है।

मुख्य सचिव ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में सभी सरकारी कर्मियों को सहभागी बनने का निर्देश दिया है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश में उन्होंने कहा कि बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में योग्यताधारक सरकारी सेवकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक है कि अपने विभाग व कार्यालय में कार्यरत योग्यता प्राप्त पदाधिकारी एवं कर्मियों से आवेदन प्राप्त कर संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार पटना, तिरहुत, दरभंगा एवं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नये सिरे से तैयार की गयी निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 23 नवंबर को किया गया है।

नौ दिसंबर तक इसके लिए दावा-आपत्ति प्राप्त की जानी है। इस अवधि के दौरान कोई भी योग्यता धारक व्यक्ति आवेदन पत्र संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की वेबसाइट पर ऑनलाइन पद्धति से भी आवेदन दिया जा सकता है।

नौ तक मौका

- पदाधिकारी व कर्मियों का आवेदन मतदाता निबंधन के लिए भेजें
- आयोग की ओर से दिए गए निर्देशों को वेबसाइट पर देख सकते हैं